BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 641 OF 2025

IN THE MATTER OF:

M.P. SINGH …APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 22.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 14.07.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1.	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 16.08.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF THE H2 CASE DT. 02.12.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF LETTER DT. 21.12.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	
6.	COPY OF THE LETTER DT. 16.01.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5	

7.	**COPY OF THE PROOF OF DEPOSIT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	
8.	**COPIES OF PHOTOGRAPHS HAVE BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7**	
9.	**COPY OF THE PHOTOGRAPHS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 06.04.2026

Place: NOIDA

C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. NOTARIAL GOVERNMENT OF INDIA

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY GOVERNMENT OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 641 OF 2025

IN THE MATTER OF:

M.P. SINGH **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. **...RESPONDENTS**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 22.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Satyendra Singh, aged about 51 years s/o Late Sri Ishwari Prasad, presently posted as Managing Director, U.P.Coop. Cane Union Fed; Ltd, 12, Rana Pratap Marg. Lucknow U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

4/4/26

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. **BACKGROUND OF THE MATTER**

3. That in the present matter, the applicant alleges that under the guise of limited permission granted only for pruning of branches of 4 trees, the officials of Uttar Pradesh Sehkari Ganna Samiti Sangh Ltd., Lucknow illegally felled a total of 13 trees, including Peepal, Mango, Semal and Eucalyptus, in complete violation of the permission conditions and forest laws, and further transported the illegally obtained timber without any transit pass in a private milk vehicle. It is alleged that despite photographic evidence, the Forest Guard and Range Forest Officer colluded with the accused persons, deliberately underreported the offence by showing only four trees as affected, failed to seize the timber and vehicle as mandated under the Timber and Forest Produce Transit Rules, 1978, and illegally closed the case after imposing a nominal fine. The applicant further alleges suppression of material facts, dereliction of statutory duty by forest officials, protection to responsible officers of the Federation, and non-compliance with the binding directions of the Hon’ble Supreme Court

regarding penalties and compensatory plantation for illegal tree felling, resulting in serious environmental damage.

4. That the present matter was last listed for hearing on 22.12.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

   "5. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P. (2) District Magistrate, Lucknow (3) Divisional Forest Officer, Lucknow, (4) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary (5) Central Pollution Control Board through Member Secretary (6) Uttar Pradesh Cooperative Sugar Mills Federation Ltd through its Managing Director who stand impleaded as respondents No. 1 to 06.

   6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

   7. Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate has appeared and accepted notices on behalf of respondents no. 1 to 3.

8. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 4, 5 and 6 along with copy of the original application and documents attached with the same.”

II. <u>GRANT OF PERMISSION</u>

5. That it is submitted that the Respondent Organization had duly applied for permission for pruning of Peepal and certain wild tree branches vide letter dt. 14.07.2023 as the trees had assumed a dangerous form, their roots had gone through the roofs into the walls, causing severe damage to the building, and that the Eucalyptus trees near the main gate and boundary wall of the office had grown very large and could fall on the wall at any time, causing serious damage.

   A Copy of the letter dt. 14.07.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

6. That pursuant thereto, the office of the Divisional Forest Officer, Awadh Forest Division, Lucknow, vide letter no. 1299/22-10 dated 16.08.2023, granted permission strictly limited to pruning of dangerous branches of the following trees:

   a. 02 Peepal trees

b. 01 Mango tree

c. 01 Semal tree

7. That it is submitted that the permission granted was conditional and limited only to pruning activities and did not extend to any felling or pollarding of trees.

   Copy of permission letter dated 16.08.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

III. <u>INCIDENT OF ALLEGED UNAUTHORIZED FELLING</u>

8. That during absence and due to lack of immediate supervision, the contractor engaged for illegal felling of trees and pruning activities mistakenly exceeded the scope of permission and carried out:

   a. Felling of 02 Neem trees

   b. Pollarding of 01 Gular tree

   c. Pollarding of 01 Ashok tree

9. That it is submitted that the said act was **neither authorized nor sanctioned** by the Respondent Organization and occurred purely due to inadvertence and lack of supervision at the site.

IV. ACTION TAKEN BY FOREST AUTHORITIES

10. That it is further submitted that the Regional Forest Officer, Urban Range, has already taken cognizance of the matter and initiated proceedings under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976 vide H2 Case No. 12/2023-24 dated 02.12.2023.

    Copy of H2 Case No. 12/2023-24 dt. 02.12.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

11. That it is submitted that subsequently, the office of the Divisional Forest Officer vide letter dated 21.12.2023 to the Respondent Organisation raised concerns regarding unauthorized felling/pollarding of trees within the premises and directed that an inquiry must be conducted at an internal level and necessary departmental action be ensured against the concerned person A Copy of the letter dt. 21.12.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

V. DEPARTMENTAL ACTION BY RESPONDENT ORGANIZATION

12. That subsequently, upon internal inquiry, it was found that during the relevant period, Abhilash Kant Sharma, Clerk, who was supervising the said activity, was temporarily absent from the premises due to official

work at the office of the Uttar Pradesh Sehkari Ganna Samiti Sangh Ltd., U.P. That the said was informed to the Divisional Forest Officer, Lucknow, U.P. vide letter dt. 16.01.2024. That the said letter also states that the offender (Abhilash Kant Sharma, Clerk) has been directed to to plant **10 new trees in place of the 04 illegally felled trees** within the premises of the Uttar Pradesh Sehkari Ganna Samiti Sangh Ltd., U.P. and to ensure their care and maintenance at his own expense.

A Copy of the letter dt. 16.01.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

13. That the Respondent Organization has thus taken prompt and appropriate departmental action in accordance with service rules.

VI. DEPOSIT OF COMPOUNDING AMOUNT

14. That it is submitted that an amount of Rs. 12,000/- (Rupees Twelve Thousand only) has already been deposited by the concerned employee with the office of the Regional Director, Social Forestry, Awadh Region, U.P.

A Copy of the Proof of deposit of Rs. 12,000/- has been annexed herewith as **ANNEXURE R-6**.

VII. COMPENSATORY PLANTATION AND COMPLIANCE

15. That in compliance with the directions issued by the Respondent Organisation, compensatory plantation has already been undertaken.

16. That more than the required number of trees have been planted within the premises, including:

- 01 Jamun
- 02 Mango
- 02 Pomegranate
- 02 Guava
- 02 Amla
- 01 Lemon
- 01 Mulberry

Total-11 Plants

17. That the total plantation exceeds the requirement of 10 trees, thereby demonstrating bona fide compliance. That the concerned employee has undertaken to maintain and nurture the planted trees at his own expense.

Copies of the photographs have been annexed herewith as **ANNEXURE R-7**.

18. That it is submitted that the affected trees **(2 Neem Trees, 1 Gular Tree and 1 Ashok Tree)** have fully grown back in the Organization's premises. Copies of the photographs of the said trees have been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

VIII. ABSENCE OF MALAFIDE INTENT

19. That it is respectfully submitted that the alleged violation occurred **without any malafide intention** and solely due to miscommunication and lack of supervision at the relevant time.

20. That the Respondent Organization has always complied with environmental norms and has acted in good faith.

21. That immediate corrective steps, including deposition of the compounding amount and compensatory plantation, were undertaken without delay.

22.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at LKO. U.P. on this 4th day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 22 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVERNMENT OF INDIA

Sworn and Verified
Before Me
4/4/2026
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO.20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

Identify the deponent/Executant/Suraty who has/have signed/Put ... before me

ANNEXURE R-1

DH ②

कार्यालय उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0,
12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

दूरभाष 0522–2207871
E-mail gannasangh@yahco.in

पत्रांक 126–27 /सामान्य दिनांक 14, जुलाई, 2023

प्रभागीय वन अधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
21/475 इन्दिरा नगर,
लखनऊ।

अवध वन प्रभाग, लखनऊ
प्राप्ति संख्या 380
22-10
18.7.23

विषयः– कार्यालय परिसर एवं भवन की छतो पर उगे वृक्षों की कटाई हेतु।

अवगत कराना है कि कार्यालय उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि., 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के भवन की छतो परं पीपल के पेड़ एवं जगंली पेड़ों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिसकी जड़े छतो से होते हुये दीवारे के अन्दर चली गयी है। जिससे भवन की अत्याधिक क्षति हो रही है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय के मुख्य गेट एवं कार्यालय की बाउन्ड्री से सटे यूकेलिप्टिस के पेड जो अत्याधिक बडे होने के कारण किसी भी समय तेज हवा से कार्यालय की दीवार पर गिर सकता है जिससे कार्यालय के क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

कृपया आप अपने स्तर से कार्यालय का निरीक्षण कर वृक्षों की कटाई इत्यादि की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न–वृक्षों की छाया चित्र 9

PE
Box
DFO
18/7/23

14/07/23
(राजेश धर द्विवेदी)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक
गन्ना संघ।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र–लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 540 /22–10, लखनऊ, दिनांक 19/07/2023।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक स्थल पर स्थित वृक्षों का निरीक्षण/जॉच कर "जॉच आख्या" मयस्वामित्व संस्तुति सहित मूल्यांकन सूची मयसारांश एवं सम्बन्धित वृक्ष की स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ व आवेदक की आई0डी0 संलग्न कर उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

NOTARY Kartikay ... Regd. ... Lucknow ... GOVT. OF U.P.

ANNEXURE R-2

कार्यालय दूरभाष सं0: 0522–2716723
ई–मेल :–dfolucknow@gmail.com
dfolu-up@nic.in

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
पत्रांक 1299 /22–10, लखनऊ, दिनाँक 16/08/2023।

सेवा में,

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0
12, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

विषयः– कार्यालय परिसर में स्थित 04 हरे खड़े वृक्षों की साख–तरासी अनुमति के सम्वन्ध में।
सन्दर्भः– आपका पत्रांक–126–127/सामान्य, दिनांक 14.07.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में मौके स्थल पर स्थित 04 हरे खड़े वृक्षों की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा करायी गयी, उनकी जॉच आख्या के अनुसार 02 पीपल, 01 आम एवं 01 सेमल (कुल 04) हरे खड़े वृक्षों की शाखाएं शाखाएं खतरनाक रूप से फैली पायी गयी है। उक्त वृक्षों पर गन्ना समिति संघ का स्वामित्व है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी की जांच आख्या के अनुसार 02 पीपल, 01 आम एवं 01 सेमल (कुल 04) हरे खड़े वृक्षों की चिन्हित की गयी (गोलाई 35 सेमी0) तक खतरनाक शाखाओं की शाख–तरासी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। किसी भी दशा में उक्त वृक्षों का अवैध पातन नहीं किया जायेगा, मात्र वृक्षों की आवश्यकतानुसार शाखाएं जो वास्तव में खतरनाक फैली है, की ही शाख–तराशी की जाएगी। वृक्षों का स्वरूप नष्ट न होने पाये। शाख–तराशी से प्राप्त प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 (यथा–संशेधित) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अथवा अवैध कटान होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उक्त 04 हरे खड़े वृक्षों की साख–तरासी हेतु अनुमति दिनाँक 10–09–2023 तक विधिमान्य होगी।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

पत्रांक 1299 /22–10 , तद्दिनाँकित.

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी को उनकी संस्तुति पत्र सं0–150/22–10, दिनांक 09.08.2023 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षों का अवैध पातन न होने पाये।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

NOTARY Kartikay Kumar Singh Regd No 31 (85)/2009 Lucknow (U.P.) GOVT. OF U.P.

प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग

68

ANNEXURE R-3

क्षेत्रीय निदेशक, अवध क्षेत्र

क्रम सं० 50

अवध वन प्रभाग

पुस्तक सं० 57

अपराध उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व यथा संशोधित की धारा 4/10 तथा उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 व यथा संशोधित की धारा 3/28 दिनांक 2.12.2023 रेंज शहरी बीट हजरतगंज

रिपोर्ट नं० 3/28 रेंज केस नं० 12/2023-24 वर्ष 2023-24

1. अभियुक्तों के नाम पिता का नाम व पता अखिलेश कान्त शर्मा पुत्र स्व० हरी कान्त शर्मा (लिपिक) उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि० 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

2. गवाहों के नाम आत्मज तथा पता राम फेर माली

3. कथित अपराधों का पूरा विवरण
आज दिनांक 02.12.2023 को समय लगभग 1.30 बजे दोपहर शिकायत प्राप्त होने पर उपरोक्त हमराह के साथ उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि० 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ पहुंचा तो देखा कि पेड़ो की कटाई की गयी है। तथा लकड़ी मौके से गायब कर दी गयी है। पूछताछ मे पता चला कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा करवाया गया है। कटे वृक्षों का नपत 1. नीम वृक्ष नाप 1.55 मी० ② नीम वृक्ष नाप 1.15 मी ③ गुलर 1.52 मी० 6 फुट ऊपर से तथा अशोक तीनो नपत 1.25 मी 10 फुट ऊपर से काटा गया है। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त वृक्षो को

4. ~~अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान~~ अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया है तो उसका विवरण
काटने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नही लिया गया है। इस प्रकार यह कृत उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व यथा संशोधित की धारा 4/10 तथा उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 व यथा संशोधित की धारा 3/28 का खुला उल्लंघन किया गया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5. कुल हानि का मूल्यॉकन ....X....
मुआवजा ....X....

6. बरामद की गई लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ विभागीय जांच

दिनांक 2.12.2023

राधे लाल
(राधे लाल)
केस जारी करने वाले के हस्ताक्षर
पद बी.ए. प्रभारी - हजरतगंज

... मुख्य वनाधिकारी अवध को सूचनार्थ प्रेषित
प्रति श्री राम धीरज यादव को अन्तिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिटी रेंज लखनऊ
रेंज अधिकारी

प्रभागीय केस नं0 273/12/2023-2024

वन राजि अधिकारी .... शहरी रेन्ज

कृपया अन्तिम रिपोर्ट भेजें / कीमत+मुआवजा वसूल करके सूचित करें।
पुलिस सहायता लेकर अग्रिम कार्यवाही करें।

पत्रांक 995/35-1 दिनांक 02/03/2024

प्र0 व0 अवध / महोदय

~~रेंज केस सं0 12/23-24 की जाँच श्री राम धीरज व.र. से करायी गयी जिसमें 02 वृक्ष नीम को 06 फिट ऊपर से पोलार्डिंग की गयी (01 अशोक को 10 फिट ऊपर से पोलार्डिंग की गयी), अभियुक्त द्वारा बयान देकर अपना अपराध स्वीकार किया जिसपर अभियुक्त से ई3 सं0 4376/100 दि 11-12-23 को रु 12000=00 प्रतिकर वसूल किया गया। अतः महोदय से केस को प्रशमित करने की सिफारिश की जाती है।~~

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिटी रेंज लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग

वन राजि अधिकारी .... की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार यह केस में कम्पाउण्ड किया जाता है / ड्राप किया जाता है।
बरामद लकड़ी को नीलाम करने की अनुमति दी जाती है।
नाजायज जोत की जमीन खाली करवा ली गई है।

(02) वृक्ष नीम (01) वृक्ष [illegible] की पोलार्डिंग (01) वृक्ष अशोक की पोलार्डिंग
... अभियुक्त द्वारा ... स्वीकार किया गया है। अभियुक्त से प्रतिकर ...
रु0 12000/- मुआवजा वसूल किया है। ...
... रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित वृक्ष वन, बाग अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि में स्थित नहीं है। अतः केस को ...

प्र0व0अ0 अवध वन प्रभाग
महोदय,
क्षे0व0अ0 शहरी रेंज .... की रिपोर्ट के आधार पर केस को प्रशमित करने / न्यायालय भेजने / ड्राप करने संस्तुति की जाती है।

प्र0व0अ0/प्रभागीय ... के आधार पर केस को रु 12000/- में प्रशमित ...

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मोहनलालगंज।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
लखनऊ

...सूचना बाद में भेजी जायेगी।

रेंज अधिकारी

प्रभागीय केस नं0

वन राजि अधिकारी ....

कृपया अन्तिम रिपोर्ट भेजें / कीमत+मुआवजा वसूल करके सूचित करें।
पुलिस सहायुता लेकर अग्रिम कार्यवाही करें।

सेवा मे, प्रभागीय वन अधिकारी
शहरी रेन्ज

महोदय, अवगत कराना है कि आपके आदेशानुसार शहरी रेन्ज केस सं. 14/2023-24 की जाँच मेरे द्वारा की गयी। जाँच के दौरान, केस में उल्लिखित घटना का मिलान मौके पर किया गया, घटना सत्य पायी गयी। केस के अभियुक्त अभिलाष कान्त शर्मा पुत्र स्व० हरीकान्त शर्मा (लिपिक) गन्ना संस्थान सं0 ला0 12 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ से उनका पक्ष जानने हेतु सम्पर्क किया गया, अभियुक्त द्वारा अपना बयान देकर अपना अपराध स्वीकार किया गया तथा विभागीय केस मानने की इच्छा जतायी गयी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त से प्रतिकर वसूल करते हुए केस को प्रशमित करने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग

संलग्नक – ① एच-2 केस की प्रथम व द्वितीय प्रति
② नजरी नक्शा
③ अभियुक्त का बयान

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(राम धीरज यादव)
व०र०

वन राजि अधिकारी .... की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार यह केस .... में कम्पाउण्ड किया जाता है / ड्राप किया जाता है।
बरामद लकड़ी को नीलाम करने की अनुमति दी जाती है।
नाजायज जोत की जमीन खाली करवा ली गई है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-4

अरण्य विकास भवन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
दूरभाष सं0: 0522-2716723
मो0नं0-7839435107, 8853878960
ई-मेल : dfolucknow@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 212 /T.C/351 लखनऊ,दिनांक,दिसम्बर, 21, 2023

सेवा में,

आयुक्त,
उ0प्र0, सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड,
12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः- दिनांक 02.12.2023 को उ0प्र0 सहाकारी गन्ना समिति संघ लि0 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में अवैघ रूप से वृक्षों के पातन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2023 को आपके अधीनस्थ उ0प्र0 सहाकारी गन्ना समिति संघ लि0 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में 02 वृक्ष नीम का अवैध पातन एवं 01 वृक्ष गुलर एवं 01 वृक्ष अशोक की पोलार्डिंग अवैध रूप से बिना पातन अनुज्ञा प्राप्त किये की गई, जिसके कम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज द्वारा रेंज केस संख्या-12/2023-24 दिनांक 02.12.2023 द्वारा आपके संस्थान के अधिकारी/कार्मिक अभिलाष कान्त शर्मा पुत्र स्व0 हरी कान्त शर्मा के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि उक्त वन अपराध में अपने स्तर से संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

संख्या 212 /T.C/ 21 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

1405/351
27/12/23

क्षे० अ० हजरतगंज
नोटकरें
RFO

NOTARY
Kartikay Kumar Singh
Regd. No 31 (85)/2019
Lucknow (U.P.)
GOVT. OF U.P.

ANNEXURE
R-5

कार्यालय उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि.

12, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ–226001 ☎ 0522–2207871
E-mail: gannasangh@yahoo.in

पत्रांकः 217/C/सामान्य दिनांकः 16 जनवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषयः– प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्रांकः 212/टी.सी./35–1, लखनऊ, दिनांकः 21.12.2023 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., 12–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को आपके कार्यालय पत्रांक 1299/22–10 लखनऊ दिनांक 16.08.2023 द्वारा 02 पीपल, 01 आम एवं 1 सेमल कुल 4 हरे वृक्षों की खतरनाक शाखओं की शाख–तरासी हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी श्री अभिलाष कांत शर्मा, लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि "कार्य की अत्याधिक व्यस्तता होने के कारण आयुक्त गन्ना एवं चीनी उ.प्र. कार्यालय हेतु गया था उसी समय मेरे द्वारा सुपरविजन न किये जाने के कारण ठेकेदार द्वारा गलती से 02 वृक्ष नीम, 01 वृक्ष गूलर एवं 01 वृक्ष अशोक की पोलार्डिंग/कटाई की गयी।"

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, अवध क्षेत्र, उ.प्र. के कार्यालय में अंकन ₹12,000.00 की धनराशि श्री अभिलाष कांत शर्मा द्वारा जमा कर दी गई है। फिर भी श्री अभिलाष कांत शर्मा, लिपिक द्वारा की गई लापरवाही के दृष्टिगत उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए सचेत कर दिया गया है तथा अवैध पातन हुए 04 पेड़ों के स्थान पर परिसर में 10 नए वृक्ष लगाने तथा उनकी देखभाल

NOTARY Kartikay Kumar Singh Regd. No. 11 (85)/2009 Lucknow (U.P.) GOVT. OF U.P.

Scanned with OKEN Scanner

तथा पालन पोषण अपने स्वयं के खर्चे पर करने हेतु श्री अभिलाष कांत शर्मा को निर्देशित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रकरण को निक्षेपित करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा. आर.डी द्विवेदी)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।

पत्रांक :- 217/C/सामान्य दिनांक 16-01-2024
प्रतिलिपि:-

1. श्री अभिलाष कांत शर्मा, लिपिक, गन्ना संघ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के संबंध में।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि. को महोदय के अवगतार्थ।

16.01.2024
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।

NOTARY ... OF U.P.

Scanned with OKEN Scanner

वृक्ष लगाकर प्राणी मात्र का भविष्य सुनिश्चित करें। वन प्रपत्र सं0–ई–3

क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश

Chandra
उप प्र०व० मोहनलालगंज लखनऊ

पुस्तक संख्या 4376 क्रम संख्या 100

प्राप्त किया अभिलाषा कान्त शर्मा पु० स्व० हरीकान्त शर्मा उ०प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ लि० १२ राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

रुपये बारह हजार मात्र

बावत रेन्ज केस सं० 12/23-24 से प्राप्त प्रतिकर की धनराशि

रुपये 12000=00

दिनांक 4-12 2023

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिटी रेंज लखनऊ

ANNEXURE R-7

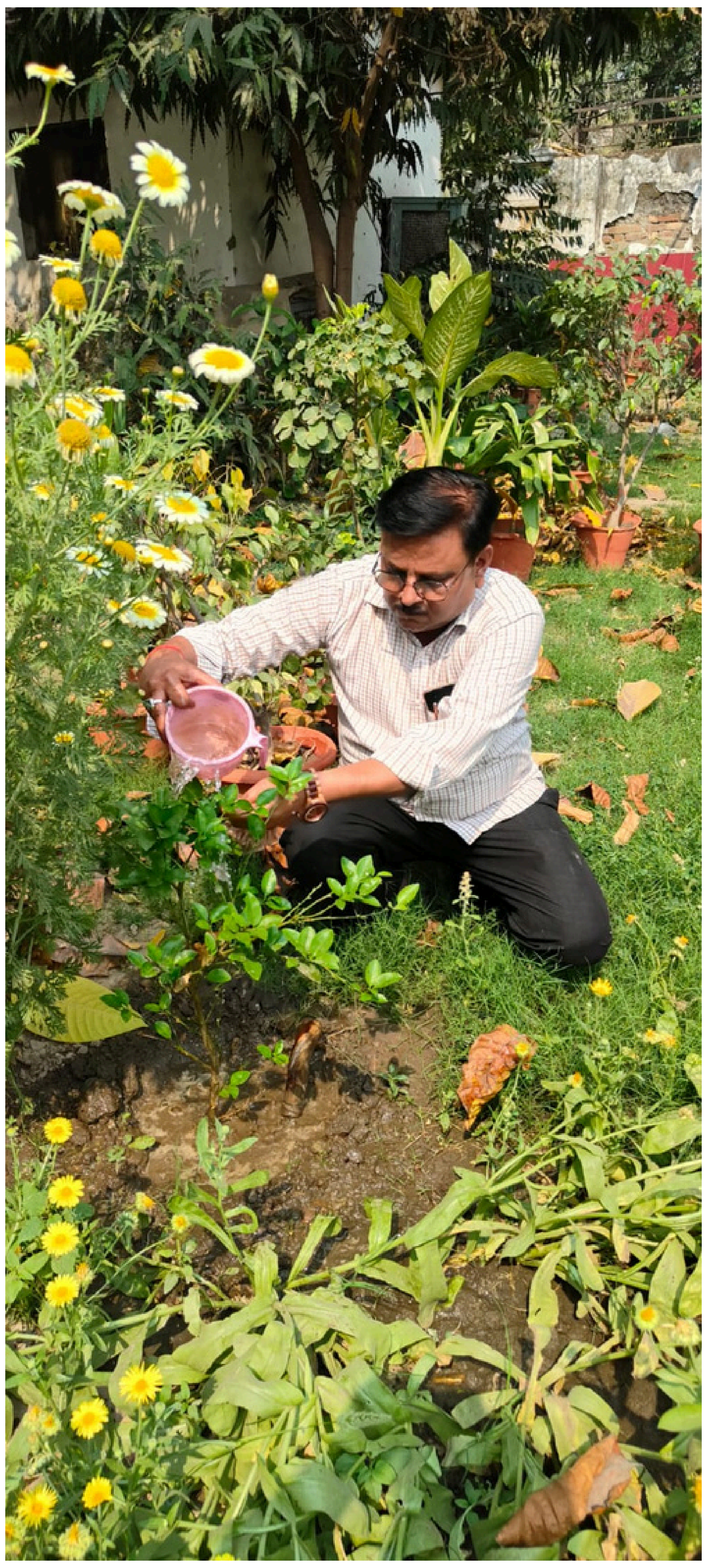

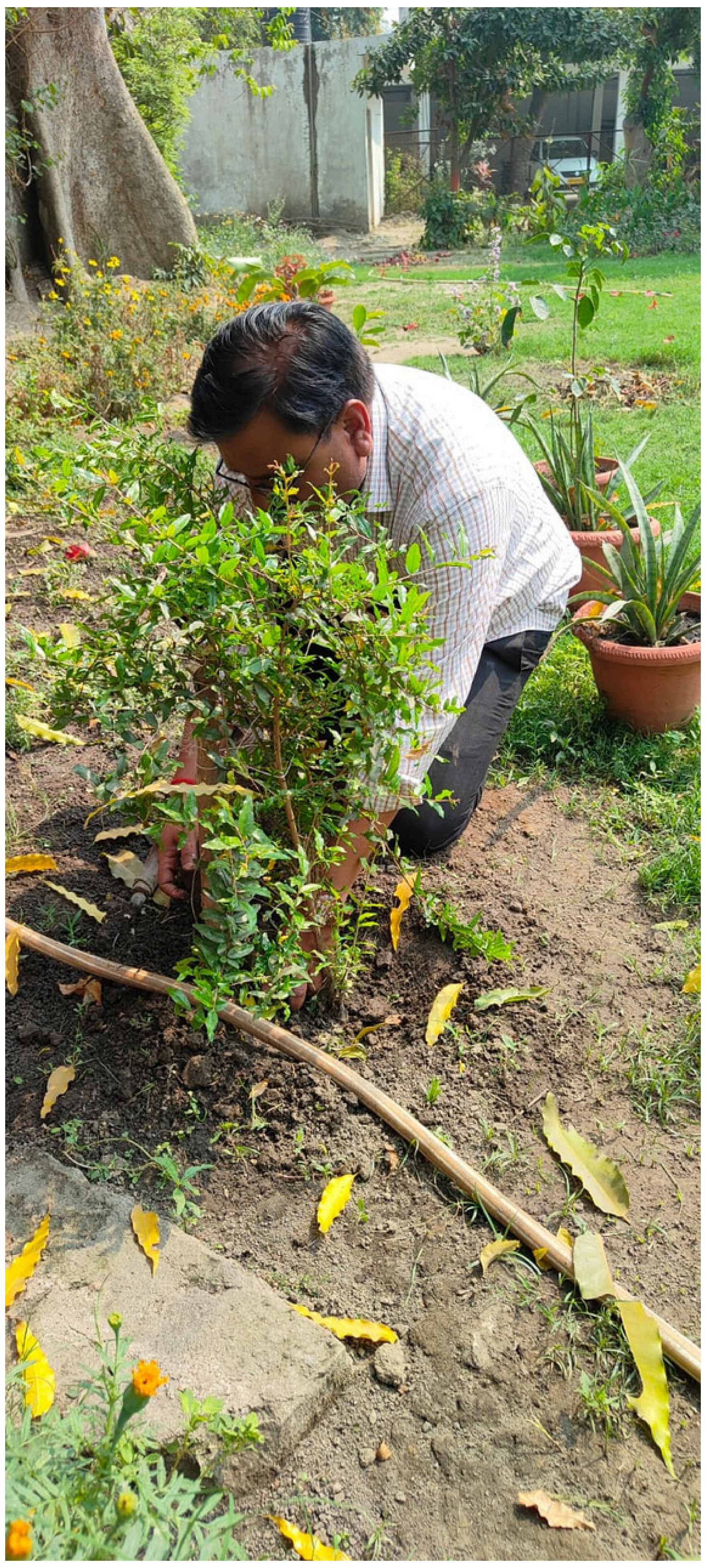

ANNEXURE R-8

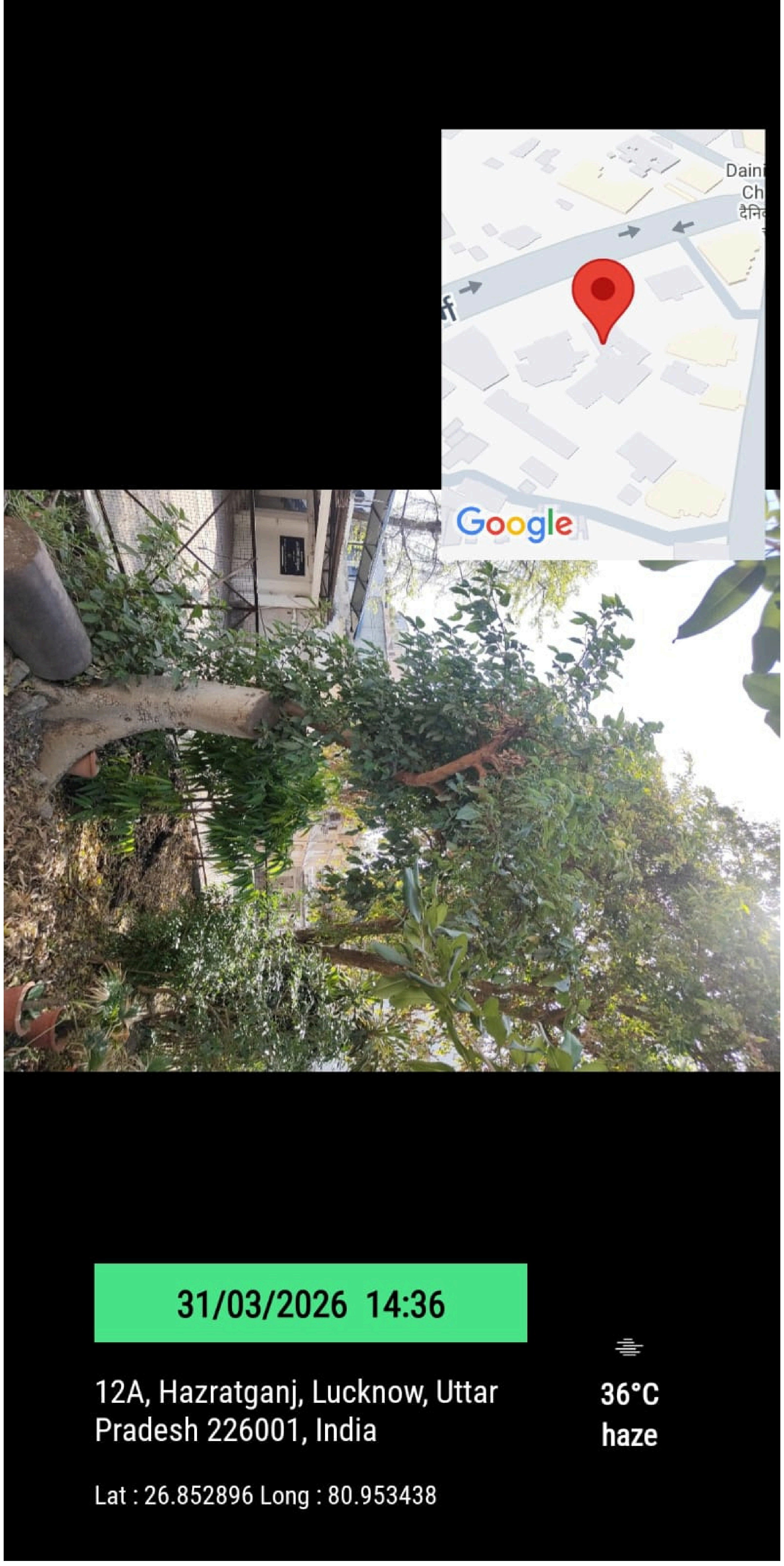
Google
31/03/2026 14:36
12A, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226001, India
36°C
haze
Lat : 26.852896 Long : 80.953438

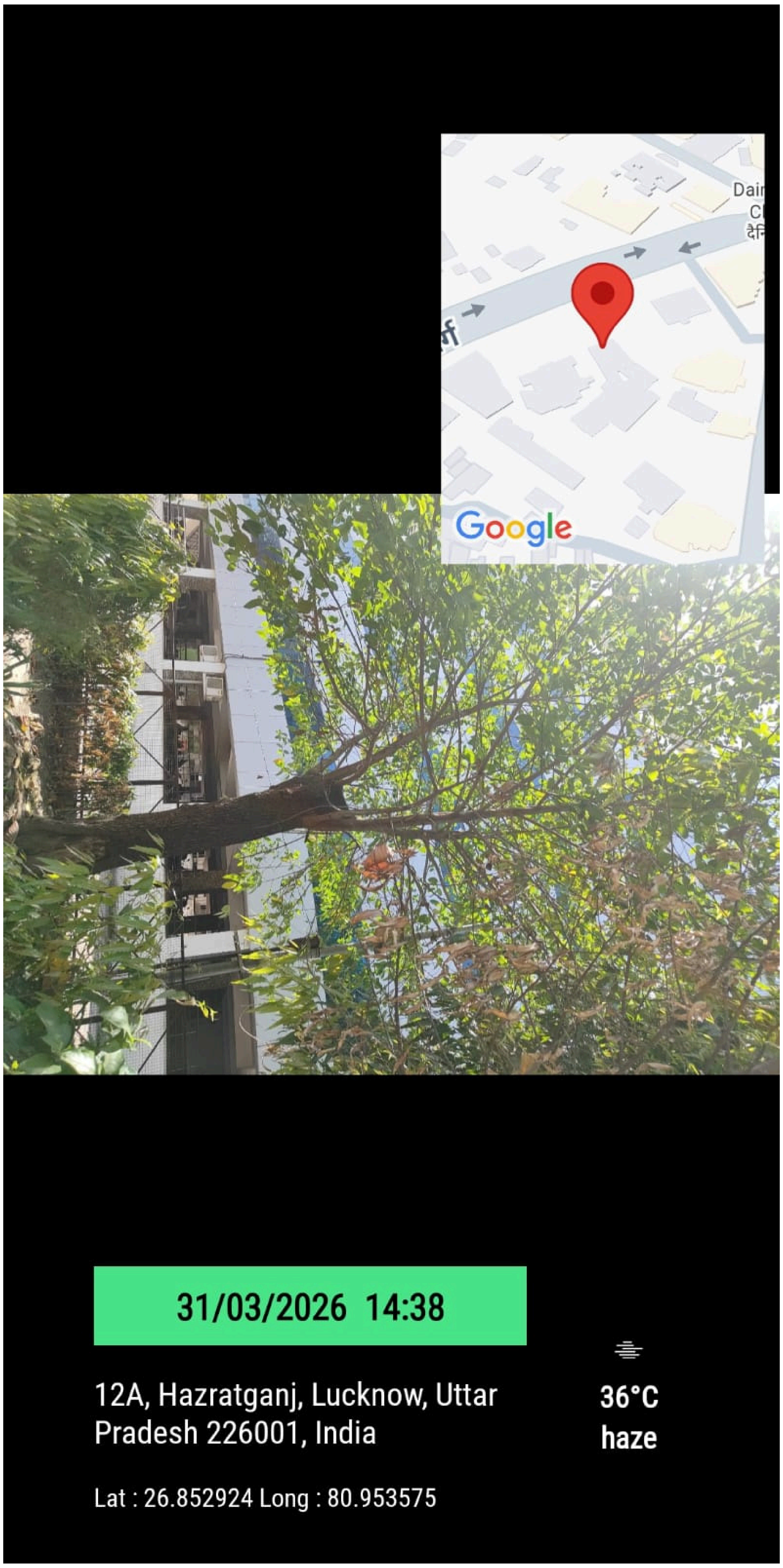
Google
31/03/2026 14:38
12A, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226001, India
36°C
haze
Lat : 26.852924 Long : 80.953575

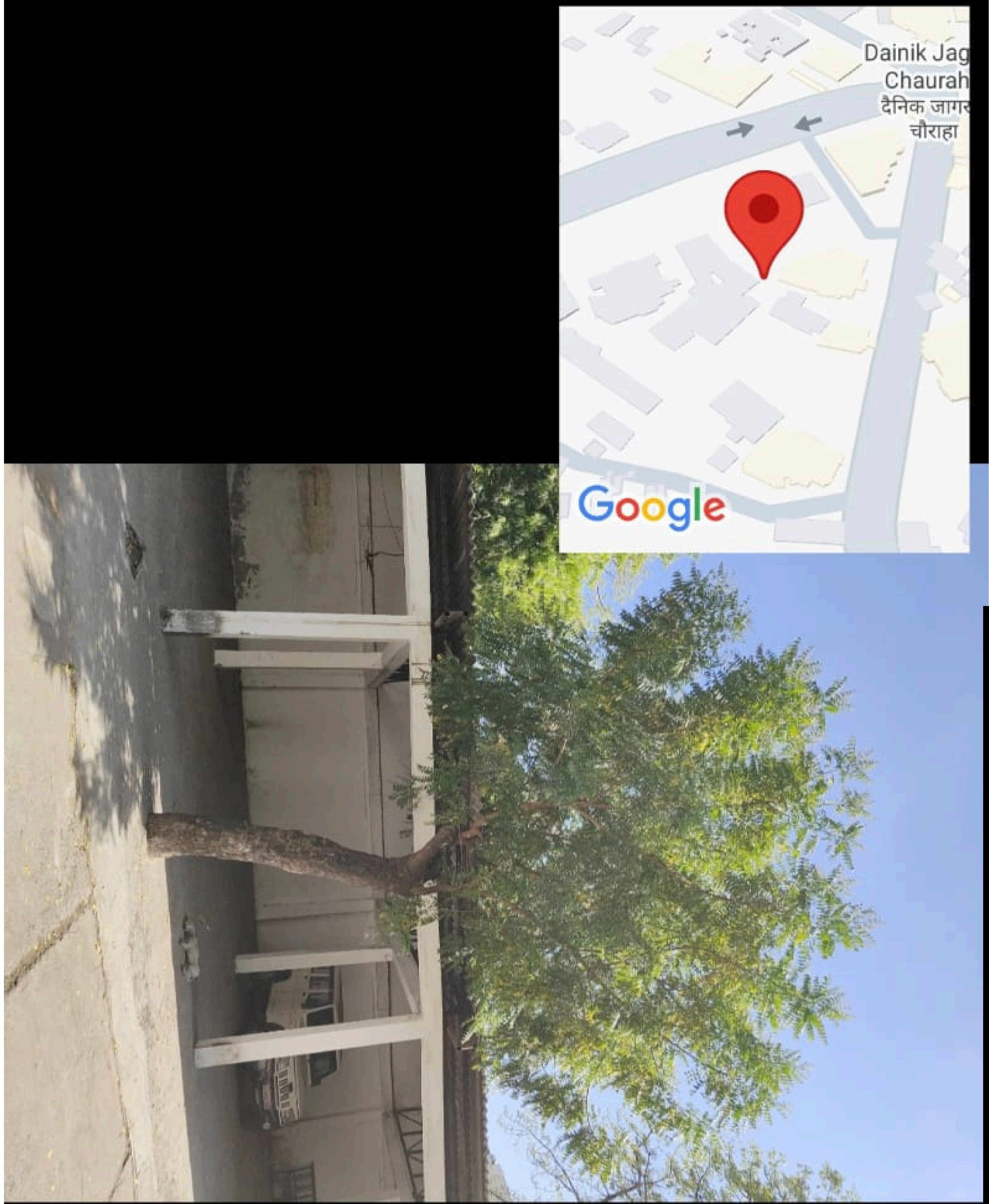

31/03/2026 14:37

38, RF Bahadur Ji Marg, Civil Lines, Lucknow, Uttar Pradesh 226001, India

36°C
haze

Lat : 26.852670 Long : 80.953395

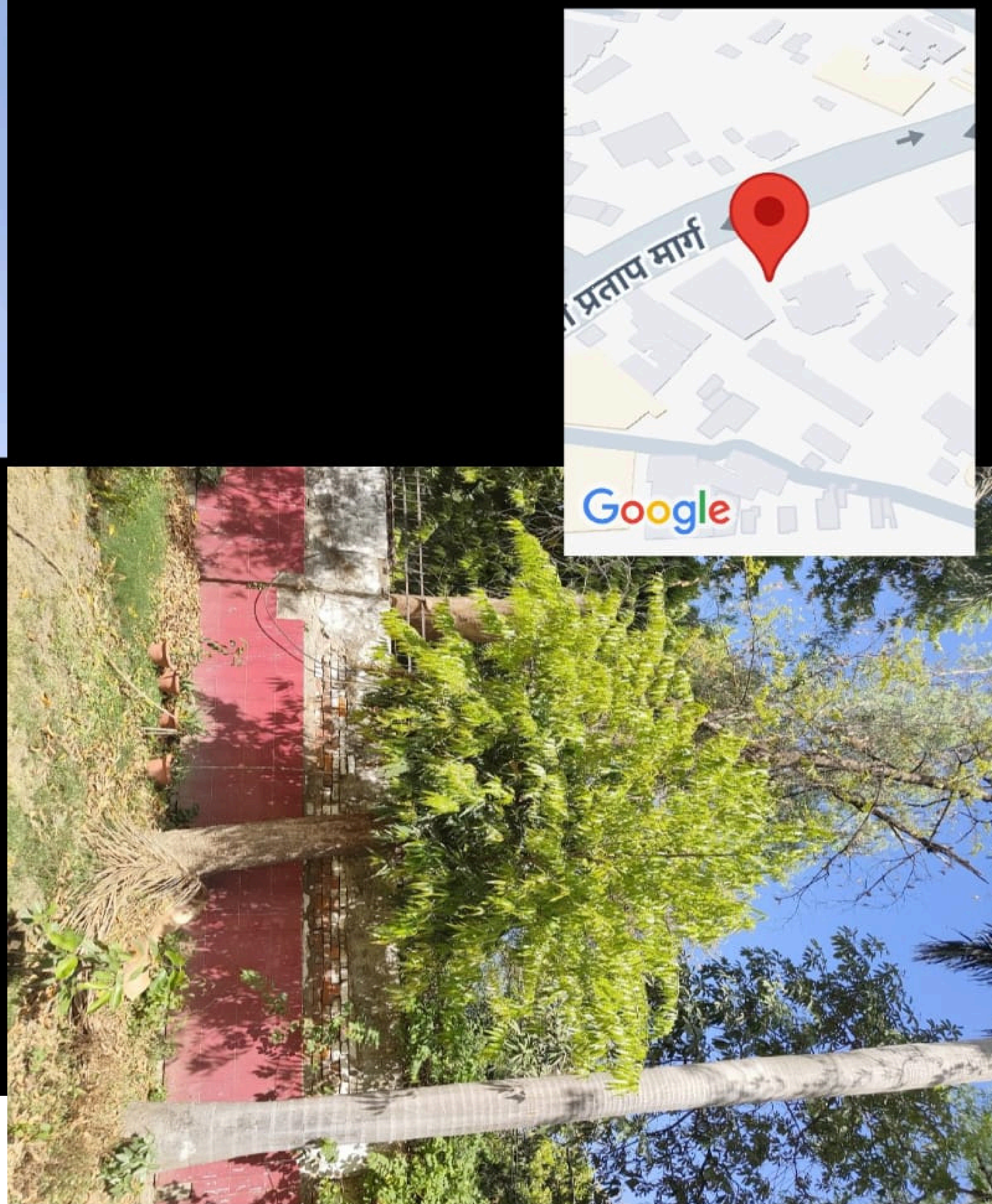

31/03/2026 14:37

VX33+7CX, Civil Lines, Lucknow, Uttar Pradesh 226001, India

36°C
haze

Lat : 26.853323 Long : 80.953433

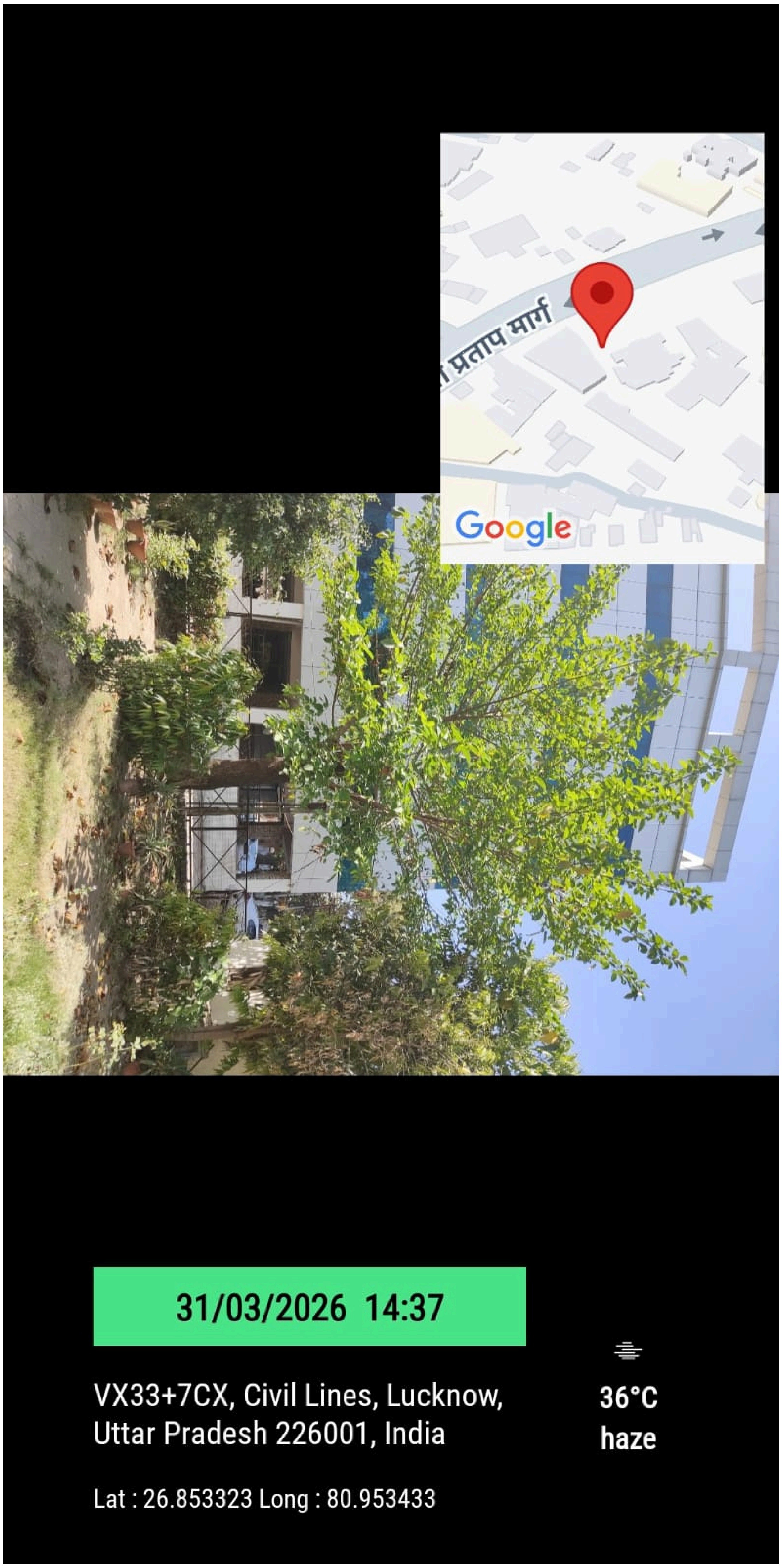
प्रताप मार्ग
31/03/2026 14:37
VX33+7CX, Civil Lines, Lucknow,
Uttar Pradesh 226001, India
Lat : 26.853323 Long : 80.953433
36°C
haze